	कोड संख्या B f प्रतावली संख्या 6 3 0 2 संदर्भ
पंजीकृत-डाक हारा	
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	(नीएडा) गौतमबुद्धनगर
(मानचित्र-स्वीकृति पत्र) पत्र संग्नीएडा/मण प्र०/बी० पी०/बी० पी० असरः 6308 / 151	
सेवा में,	
श्रीमतीस्त्रीति SNIP TRADERS PUT	: 11D.
432 15 Govine P Kalkaji	rin
Kalkaji	
New Delhie-1100	19 410
आपके प्रार्थना पत्र दिनांक १ के संदर्भ में	आपके प्रसावित आद्यावित
भवन निर्माण की प्लाट सं० W-53E-सैक्टरपर	निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति
प्रदान की जाती है। 1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से/5/11/2 ped	तक वैध है।
 मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से संबंधित (नगर पालिका, नौएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का 	

- 3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतू स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
- 4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतू कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह किसी बिना आपित के देय होगा।
- दरवाजे व रिवड़िकयाँ इस तरह से लगाये जायेगें कि जब वह खुले तो उसके पत्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टैड) न हो।
- 6. बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।

से भी प्रभावित (एफेक्टेंड) नही माना जाएगा।

- 7. आंबटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नही होना चाहिए।
- 8. रवीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य रवीकृत मानचित्रों के रपेसीफिकेशन नीएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जाएगा। आबंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नीएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा अन्यथा रवीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
- 9. आंबटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
- 10. सड़क पर अथवा वैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगें। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।